

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 27, गुरुवार, शके 1947- दिसम्बर 18, 2025 Agrahayana 27, Thursday, Saka 1947- December 18, 2025	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 17, 2025

जी.एस.आर.122 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति (संशोधन) नियम, 2025 है।
(2) ये तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 10 का संशोधन.- राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 10 के उप-नियम (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “90 दिन” के स्थान पर, अभिव्यक्ति “180 दिन” प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.एफ.5(51) डीओपी/ए-II/88 पार्ट/22568]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

डॉ. मुकुट बिहारी जांगिड़,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

(A-Gr.-II)

NOTIFICATION

Jaipur, December 17, 2025

G.S.R.122 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependents of Deceased Government Servants Rules, 1996, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependents of Deceased Government Servants (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 10.- In sub-rule (3) of rule 10 of the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependents of Deceased Government Servants Rules, 1996, for the existing expression “90 days”, the expression “180 days” shall be substituted.

[No. F. 5(51)DOP/A-II/88 Pt./22568]

**By order and in the name of the Governor,
DR. MUKUT BIHARI JANGID,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.**

Government Central Press, Jaipur.